श्री रामायण यादव, अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी के समक्ष

(सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19 के अधीन)

विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, कमरा सं0 409, "ए" विंग,
शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001

******

सं0 21(789)/2014 -आईसी

के मामले में :

श्री वासुदेव जोतवानी,
113-बी, कंवर नगर,
जयपुर - 302002

.... अपीलार्थी

बनाम

केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी,
विधि और न्याय मंत्रालय,
विधि कार्य विभाग,
शास्त्री भवन,नई दिल्ली-110001

.... प्रत्यर्थी

आदेश

दिनांक-19.8.2016

श्री वासुदेव जोतवानी (यहां इसके बाद अपीलार्थी) ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन दिनांक 30.6.2014 के अपने आवेदन-पत्र (इस विभाग में दिनांक 10.7.2014 को प्राप्त) में निम्नलिखित सूचना मांगी थी:-

"निम्न हस्ताक्षरकर्ता द्वारा दिनांक 12.6.2013 को प्रस्तुत फार्म-। मेमोरियल नोटेरी पब्लिक (भारत सरकार) की नियुक्ति बाबत प्रार्थना-पत्र पूर्णतया भरकर माननीय जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर महानगर, जयपुर के माध्यम से आपके मंत्रालय के असिस्टेंट लीगल एडवाइजर एवं कांपीटेंट अथॉरिटी, भारत सरकार, विधि और न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को अग्रिम कार्रवाई हेतु भिजवाया जा चुका है। उसके पश्चात दिनांक 21.7.2013 को प्रथम स्मरण-पत्र भिजवाया गया। पुनः दिनांक 10.3.2014 को द्वितीय स्मरण-पत्र भिजवाया गया। बड़े ही अफसोस का विषय है कि एक वर्ष व्यतीत हो चुका है, न तो पत्रों की पावती प्राप्त हुई है और न ही विधि कार्य विभाग द्वारा अभी तक इस मामले में की गई कार्रवाई से मुझे अवगत कराया गया है।यह एक अच्छी स्थिति नहीं है जबकि उपर्युक्त सारे पत्रादि संबंधित विधि मंत्रालय के कार्यालय में प्राप्त हो चुके हैं।"

2. केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपीलार्थी को दिनांक 21.7.2014 के पत्र के तहत निम्नलिखित सूचना दी थी:-

"इस विभाग के नोटरी अनुभाग में रखे गए दस्तावेजों के अनुसार, श्री वासुदेव जोतवानी, जयपुर का दिनांक 11.6.2013 का नोटरी की नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र इस विभाग में जुलाई, 2013 में प्राप्त हो गया है। आगे की कार्रवाई के बारे में भविष्य में आपको अवगत करा दिया जाएगा।"

3. अपीलार्थी ने दो वर्ष के अंतराल के बाद अपनी दिनांक 4.6.2016 की प्रस्तुत अपील (इस विभाग में दिनांक 10.6.2016 को प्राप्त) के तहत निम्नलिखित आधारों पर अपील की है :-

(i) भारत सरकार एवं राजस्थान सरकार जब प्रत्येक वर्ष जनवरी माह में नोटरी नियुक्त करते हैं तो चार साल होने पर भी कोई भी सूचना प्रार्थी को नहीं दी गई है ।

(ii) प्रार्थी को इस संबंध में पूर्ण जानकारी भिजवाई जाए ।

4. मामले की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद मेरा यह सुविचारित मत है कि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने पहले ही अपने दिनांक 21.7.2014 के पत्र के तहत प्रार्थी के दिनांक 30.6.2014 के सूचना का अधिकार आवेदन-पत्र का उत्तर दे दिया है । तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक / अपीलार्थी इस उत्तर से संतुष्ट नहीं है और उसने दो वर्ष के अंतराल के बाद अपने आवेदन की वर्तमान स्थिति के बारे में जानने के लिए पुन: अपील दाखिल की है । सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति को धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खंड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर निर्णय प्राप्त नहीं होता है या वह केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के निर्णय से व्यथित है, जैसा भी मामला हो, तो वह ऐसी अवधि की समाप्ति के या ऐसे निर्णय के प्राप्त होने के तीस दिन (30 दिन) के अंदर केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी से ऊंचे रैंक के अधिकारी को अपील कर सकता है। वर्तमान मामले में, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा उत्तर भेजे जाने के लगभग दो वर्ष के बाद अपील की गई है। उसमें अपीलार्थी द्वारा अपील करने में हुई देरी का कोई कारण भी नहीं बताया गया है । अत: उनकी अपील खारिज किए जाने योग्य है । तथापि, चूंकि केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी ने नोटरी के तौर पर नियुक्ति हेतु उनके आवेदन के संबंध में मेरे समक्ष अद्यतन स्थिति बताई है, अत: न्याय के हित में, मैं एतदद्वारा अपील दाखिल करने में हुए विलंब को माफ करते हुए, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को निदेश देता हूं कि वे अपीलार्थी को इस आदेश के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर उनके आवेदन के संबंध में स्थिति से अवगत कराएं ।

5. तदनुसार, अपील का निपटान किया जाता है ।

6. यदि अपीलार्थी इस आदेश से संतुष्ट नहीं है/ व्यथित है, तो वह 90 दिन के भीतर माननीय केंद्रीय सूचना आयोग, द्वितीय तल, अगस्त क्रांति भवन, भीकाजी कामा पैलेस, नई दिल्ली - 110066 के समक्ष द्वितीय अपील कर सकता है ।

(रामायण यादव)
अपर सचिव एवं प्रथम अपील प्राधिकारी
दूरभाष सं0 23384204

<u>**प्रतिलिपि प्रेषित:**</u>

1. श्री वासुदेव जोतवानी, 113-बी, कंवर नगर, जयपुर- 302002
2. श्री के0 गिनखन थंग, उप सचिव एवं केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, विधि कार्य विभाग, "ए" विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को इस निदेश के साथ कि वे आवेदक को उनके मामले की अद्यतन सूचना दें ।
3. अनुभाग अधिकारी, कार्यान्वयन कक्ष, विधि कार्य विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली-110001 ।

फा0 सं0 .21(789)2016/आई0सी0
भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
विधि कार्य विभाग
कार्यान्वयन कक्ष

शास्त्री भवन, नई दिल्ली
दिनांक 09.09 .2016

सेवा में,

श्रीमान् वासुदेव जोतवानी जी
अधिवक्ता
113-बी कंवर नगर वेदान्तम गिरी जी
जयपुर 302002

विषयः सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन प्राप्त अपील ।

महोदय

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के आधीन प्राप्त आपकी दिनांक 20.08.2016 की अपील (विभाग में दिनांक 26.08.2016 को प्राप्त) पर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी जी के दिये गये आदेश सं0 21(789)/2014-आईसी दिनांक 19.08.2016 (अनुभाग में दिनांक 02.09.2016 को प्राप्त) में दिये गये निर्देशानुसार नोटेरी अनुभाग के उप विधि सहायक से प्राप्त सूचना आपको भेजी रही है ।

"श्री वासुदेव जोतवानी का आवेदन-पत्र/अभ्यावेदन इस विभाग में दिनाक 04.07.2013 को प्राप्त हुआ था (सुलभ संदर्भ के लिए प्रतिलिपि सलंग्न है)। उसकी जांच करने पर यह पाया गया कि उनका आवेदन अपूर्ण था।उन्होंने कालम10(2) में सही विवरण नहीं दिया था। कालम 10(3) बिल्कुल खाली था। तहॉ तक किसी मजिस्ट्रेट (Magistrate) द्वारा अनुप्रमाणित/प्रतिहस्ताक्षर कराए जाने का संबंध है, उनके अभ्यावेदन मे वह भी नहीं था । उन्होंने अपने अभ्यावेदन के साथ अपनी जन्म तिथि के प्रमाण और स्नातक की डिग्री की प्रतिलिपि भी सलंग्न नहीं की थी । इसलिए उन्हें जून 2016 में हुये साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया था ।"

संलग्नः यथोक्त

भवदीय

(के0 गिनखन थंग) 9.9.16
उप-सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
दूरभाष : 23384706

9.9.2016